भोपाल से आया नपा को फरमान

अब पालीथिन को किया जाएगा नष्ट

सीधी। पालीथिन के विखराव व प्रदूषण रोकने नगरीय प्रशासन का आदेश नगर पालिका परिषद को भेजा गया है। यह आदेश सचिव नगरीय शासन मंत्रालय ने हाईकोर्ट के आदेश परिपालन में नपा सीधी को भेजा है।

भोपाल से भेजे गए आदेश में 31 दिसंबर को कहा गया है कि मप्र उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में शहर में पालीथन के प्रदूषण की जांच कराई जाए। साथ ही उपयोग हो रहे पालीथिन के संचय के लिए शहर में स्थान निर्धारित कर कूड़ादान लगाए जाएं। सचिव नगरीय शासन मंत्रालय द्वारा जानी आदेश में नपा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण युक्त पालीथिन की जांच कराई जाए साथ ही शहरी क्षेत्र में विखरी पड़ी पालीथिन थैलियों को इकट्ठा कराकर उसे नष्ट किया जाए। बीते माह मई में पोलीथिन संग्रहण के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। लेकिन शहर में पालीथिन के चलन में प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही नहीं की गई। शहर के निर्धारित स्थानों में टीन के बने कचरादान लगाने का आदेश भी दिया गया है।

मवेशियों की मौत का कारण

शहर में सैकड़ों की तादात में घुमक्कड़ मवेशी है। हांलाकि इनके पालक हैं फिर भी ये शहर में आवारा घूम रहे हैं। समूचे बाजार में ये मवेशी घूम फिर कर अपना पेट भरते हैं। नपा कर्मी इन मवेशियों को कांजी हाउस में भी नहीं ले जाते हैं। कई दुधारू गायों को उनपके पालक दूध निकालने के बाद फिर छोड़ देते हैं। शहर में घूमने वाले ये मवेशी सड़क व नालियों में पड़ी पालीथिन भी खा लेते हैं। पालीथिन खाने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है।

सफेद की पन्नी ही उपयोग की जा सकती है। कचरा रखने के लिए झोले भी शहरवासियों को दिए गए हैं लेकिन लोगों ने रख लिए हैं। अब फिर अभियान चलाया जाएगा।

- अमर सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी